10 राष्ट्रीय बचत पत्र एवं किसान विकास पत्र

NSC VIII ISSUE & KVP

10.1 राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)

आयकर की धारा 80 C के तहत कटौती हेतु, करदाता प्रायः राष्ट्रीय बचत पत्र का (आठवां निर्गम) खरीदते हैं, परन्तु इसकी सभी प्रकार से एकाउंटिंग करना भूल जातें हैं। अतः इससे संबंधित मुख्य जानकारी निम्नानुसार हैः–

(1) NSC पर प्राप्त ब्याज प्रथमतः अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत पूर्णतः कर योग्य होता है। अतः सकल कुल आय की गणना करते समय इसे अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक में लिया जाता है।

(2) NSC पर प्राप्त ब्याज चूंकि पुर्नःनिवेश हो जाता है। अतः ब्याज (केवल प्रथम पांच वर्ष तक) धारा 80C के तहत कटौती योग्य है। चूंकि अंतिम छठवें वर्ष के अंत में ब्याज मिलते ही NSC को पुर्नखरीद (Encash) करवा लिया जाता है, अतः छठवें वर्ष में, प्राप्त ब्याज को धारा 80C के तहत कटौती की पात्रता नही होगी।

श्राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) (आठवाँ निर्गम) पर वर्ष 2015–16 में, देय ब्याज (Due Interest) का रेडी रेकनर

NSC खरीदी का वर्ष	2010-11	2011-12 (up to Nov 11)	2011-12 (up to Dec 11)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्राप्य ब्याज	120.8	111.6	119.20	113.10	102.50	94.30	86.4

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) (नौवाँ निर्गम) पर वर्ष 2015–16 में, देय ब्याज (Due Interest) का रेडी रेकनर

NSC खरीदी का वर्ष	2011-12 दिसम्बर 11 से जारी	2012-13	2013-14	2014-15	15-16 1दिसंबर से बंद
प्राप्य ब्याज	125	118.10	106.80	98	89.90

10.2 किसान विकास पत्र (KVP)

किसान विकास पत्र 1 दिसंबर 2011 से बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः नवम्बर 2014 में चालू किया गया है। नए किसान विकास पत्र की खास बिन्दु निम्नानुसार हैं –

- ☞ निवेश की राशि 100 माह अर्थात् 8 वर्ष 4 माह में दुगुनी, इस प्रकार 8.7 वार्षिक समृद्धि ब्याज देय।
- ☞ रु. 1000, 5000, 10000 व 50,000 के गुणकों में उपलब्ध। ऊपरी निवेश की सीमा नहीं।
- ☞ आरंभिक लॉक–इन अवधि 2 वर्ष 6 माह के पश्चात् पूर्णावधि पूर्व भुनाने (encash) करने की सुविधा
- ☞ किसान विकास पत्र एक व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम पर संयुक्त रूप से लिया जा सकता है। तथा इसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है।
- ☞ प्रारंभ में यह पोस्ट ऑफिस से मिलेगा बाद में बैकों से भी जारी किया जावेगा।
- ☞ एक पोस्ट आफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।
- ☞ इसे गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। तथा नामिनी की सुविधा उपलब्ध।
- ☞ प्रतिवर्ष प्राप्य (Due) ब्याज की निम्नानुसार गणना कर अन्य स्त्रोतों के आय के अंतर्गत करयोग्य आय में शामिल किया जाना आवश्यक है।

थ्कसान विकास पत्र पर वर्ष 2014–15 में, देय ब्याज (Due Interest) का रेडी रेकनर

KVP खरीदी का वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	दिसम्बर 11 से अक्टूबर 14 तक जारी नहीं किया गया
प्राप्य ब्याज	93	148	136	126	116	107	